न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष कुमार आरएएस

प्रकरण सं0:– 192/19

1. जयदेव सिंह पुत्र हरभिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।

–वादी–

बनाम्

1. रूलदा सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
2. हरभिन्द्र सिंह पुत्र रूलदा सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
3. गुरमीत कौर पुत्री रूलदा सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पदमपुर जरीये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,188,91 आरटीए

निर्णय दिनांकः– 22/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2050 के खाता सं0 77/78 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4 ता 7, 8/1, 3/2, 14 ता 17, 18/1, 23/2, 24, 25 की कुल 9.06 बीघा व मुरबा नं0 7 के किला नं0 1, 5, 6/1, 10, 11, 20, 21 की कुल 6.05 बीघा कुल तादादी 15.06 बीघा नहरी भूमि वादी की पड़दादी हरनाम कौर पत्नि भाग सिंह के नाम खातेदारी दर्ज हैं। वादी की पड़दादी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त मुरबा नं0 3 की भूमि वादी के दादा श्री रूलदा सिंह प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात दादा श्री रूलदा सिंह द्वारा उक्त भूमि की आमदनी से एवं सयुक्त परिवार की आय से मुरबा नं0. 16 व 27 की भूमि खरीद की गई। वर्तमान में तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013, 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 एवं मुरबा नं0 16 की 6.074 है0 व मुरबा नं0 27 के किला नं0 5/1/0.126 है0 किला नं0 6, 12, 13, 14, 15 प्रत्येक सालम कुल 1.391

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

है0 कुल तादादी भूमि 9.755 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज हैं। उपरोक्त तमाम भूमि जद्दी जायदात एवं सयुक्त हिन्दु खानदान की सम्पति है। जिसमें वादी का प्रविवादी सं0 1 ता 3 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदारी हक हैं। वादी का प्रतिवादी सं0 1 दादा, प्रतिवादी सं0 2 पिता व प्रतिवादी सं0 3 भुआ लगती हैं। वादगत भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फैमिलीसैटलमेन्ट की रूह से विभाजन हो चुका है। जिसमें वादी के हिस्से में वादगत भूमि तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0. 063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि हिस्सा में आयी हैं और फैमिलीसैटलमेन्ट एवं पारिवारिक विभाजन की रूह से वादी मुरबा नं0 3 की उपरोक्त 2.290 है0 भूमि के कब्जा काश्त में है तथा वादी अपना सहदायिकी/विरास्तन हिस्सानुसार उपरोक्त मुरबा नं0 3 की 2.290 है0 भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी भूमि में से उपरोक्त मुरबा नं0 3 के 2.290 है0 भूमि को वादी के नाम चढ़ाने हेतु कई बार कहा परन्तु वह टाल मटोल करता रहा फिर आखिर आज से एक सप्ताह पूर्व वादी द्वारा अन्तिम बार तकाजा करने पर प्रतिवादी सं0 1 ने वादी के नाम भूमि लगवाने से इन्कार कर दिया तथा वादगत भूमि को किसी अन्य को रहन बैय द्वारा अन्तरण करने की धमकी दी जो यही वाद का कारण हैं। वाद पत्र वादी पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0. 240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0. 063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि एवं मुरबा नं0 मुरबा नं0 16 की 6.074 है0 व मुरबा नं0 27 के किला नं0 5/1/0.126 है0 किला नं0 6, 12, 13, 14, 15 प्रत्येक सालम कुल 1.391है0 कुल तादादी भूमि 9.755 है0 भूमि

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हैं। जिसमें से मुरबा नं0 3 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपनी माता श्रीमति हरनाम कौर से प्राप्त हुई है। राजीनामा की रूह से चक 38 आरबी के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि पारिवारिक सैटलमैन्ट में वादी के हिस्सा में दी हुई है। इस भूमि पर वादी का कब्जा काश्त हैं। मुरबा नं0 3 की उपरोक्त 2.290 है0 भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने में पक्षकारान सहमत है। राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा की रूह से चक 38 आरबी के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0.063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। तहसील पदमपुर के चक 38 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 64/61 के मुरबा नं0 3 के किला नं0 4/0.013 , 5/0.076, 6/0.228, 7/0.228, 8/1/0.051, 13/3/0. 063, 14/0.240, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम, 18/1/0.063, 23/2/0.063, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 2.290 है0 भूमि का वादी जयदेव सिंह पुत्र हरभिन्द्र सिह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/10/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.12 12:27:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: